5th amendment

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2015/भाद्र 27, 1937
No. 581] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2015/BHADRA 27, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 724(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को अनुमोदित करती है और इसे इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त संशोधन विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कोलकाता पत्तन न्यास

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता पत्तन न्यास का न्यासी मंडल एतदद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है :–

1. लघुशीर्ष एवं प्रारम्भ :–

(i) ये विनियम कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 कहलाएंगे।

(ii) ये, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 व 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित सरकारी राजपत्र में केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2013 की अनुसूची के मरीन विभाग में, निदेशक, मरीन विभाग के पद के लिए कम सं. 3 के कॉलम सं. 12 के अंतर्गत, प्रथम अनुच्छेद निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"सामासिक पद्धति द्वारा समावेशन हेतु:– समकक्ष पदधारी अधिकारी या श्रेणी–II पत्तनों में उप कॉनसरवेटर/श्रेणी –I पत्तन में हार्बर मास्टर/ केडीएस में हार्बर मास्टर (पत्तन) / हार्बर मास्टर (नदी)/अधीक्षक ड्रेजर व डिस्पेच सेवा/ अभियंता अधीक्षक/ मुख्य हाइड्रोग्राफर या एचडीसी में प्रबंधक (मरीन प्रचालन) के पद पर रू. 43,200/– 66,000/– के वेतनमान के ग्रेड में 2 वर्षों के नियमित सेवाधारी हो या कोलकाता गोदी प्रणाली में उप डीएमडी–I के पद/किसी

श्रेणी–II महापत्तन में हार्बर मास्टर के पद पर रू.36,600–62,000 के वेतनमान में 4 वर्षों के नियमित सेवाधारी अधिकारी हों ।"

[फा. सं. पीआर –12012/4/2014–पीई–I]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी – मुख्य विनियम दिनांक 15.10.2013 के सा.का.नि. सं. 678(अ) के जरिए प्रकाशित हुआ था। तदुपरांत, दिनांक 26.12.2014 के सा.का.नि. सं. 23(अ) के जरिए शुद्धि पत्र द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2015

G.S.R. 724(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees for the Port of Kolkata and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Kolkata Port Trust

Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015

In exercise of the power conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees for the Port of Kolkata hereby makes the following amendments to the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2013 :-

1. **Short title and commencement :-**

   i) These Regulations may be called the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

   ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013, in the Schedule, in the Marine Department, for the post of Director, Marine Department at S.No. 3, under Col.12, the first paragraph shall be substituted by the following paragraph:-

   "For absorption by composite method:- Officers holding analogous posts or having 2 years regular service in the scale of pay of Rs. 43,200-66,000/- in the post of Dy. Conservator in category II ports/Harbour Master in Category-I port/Harbour Master (Port)/Harbour Master (River)/Superintendent Dredger & Despatch Service/Engineer Superintendent/Chief Hydrographer in KDS or Manager (Marine Operations) in HDC or officers having 4 years regular service in the pay scale of Rs.36,600-62,000 in the post of Dy. DMD-I in Kolkata Dock System/Harbour Master in a Category II Major Port."

[F. No. PR-12012/4/2014-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

Note : Principal regulation published *vide* G.S.R. No. 678(E) dated 15.10.2013 followed by Corrigendum *vide* G.S.R. 23(E), dated 26.12.2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.